इकाई 14 सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य
14.1 प्रस्तावना
14.2 सार्वजनिक क्षेत्र
  14.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका
  14.2.2 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और उपलब्धियाँ
  14.2.3 सीमाएँ और हानियाँ
14.3 निजी क्षेत्र
  14.3.1 निजी क्षेत्र का विकास और योगदान
  14.3.2 हानियाँ और सीमाएँ
14.4 संयुक्त क्षेत्र
  14.4.1 संयुक्त क्षेत्र की भूमिका और लाभ
  14.4.2 सीमाएँ और हानियाँ
14.5 सहकारी क्षेत्र
  14.5.1 सहकारी क्षेत्र के उद्देश्य
  14.5.2 विकास और सीमाएँ
14.6 सारांश
14.7 शब्दावली
14.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ
14.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

14.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- समझ सकेंगे कि सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र क्या हैं;
- भारत में उनके लिए परिकल्पिक भूमिकाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे;
- सभी क्षेत्रों को तुलनात्मक दृष्टि से परख सकेंगे; और
- बदलते हुए परिदृश्य में उनकी प्रासंगिकता को समझ सकेंगे।

14.1 प्रस्तावना

आर्थिक कार्यकलाप जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण मुख्यत: चार क्षेत्रों सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में होता है। विभिन्न देशों ने अपने आर्थिक इतिहास की विभिन्न अवधियों में इन क्षेत्रों को अलग-अलग महत्त्व दिया है। विभिन्न आर्थिक कारणों से कतिपय वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण जानबूझ कर विशेष क्षेत्रों के लिए अलग रखा गया है। आर्थिक कारणों के अलावा वर्तमान शासन की वैचारिकी भी विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक कार्यकलापों के विभाजन को निर्धारित करती है। यद्यपि कि इस तरह का कोई कठोर विभेद नहीं है कि कोई विशेष उद्योग किसी विशेष क्षेत्र में ही रहेगा, कतिपय उद्योग अथवा कार्यकलाप परम्परागत रूप से विशेष क्षेत्र में ही रहे हैं क्योंकि

निजी क्षेत्र ने उनमें रुचि नहीं दिखाई विभिन्न क्षेत्रों के उद्देश्यों, भूमिकाओं और सीमाओं पर नीचे चर्चा की गई है।

14.2 सार्वजनिक क्षेत्र

कोई भी संगठन जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कहलाता है। यहाँ सार्वजनिक का अभिप्राय सरकार है और न कि आम जनता। अपने सृजन और उन्हें कार्य करने की जो स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता दी जाती है उसके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को 'विभागीय उपक्रमों' (अथवा विभागों), 'निगमों', और 'कंपनियों' में बाँटा जाता है। उदाहरण के लिए जो कुछ सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबन्धन में है जैसे रेलवे, डाक और तार, परमाणु ऊर्जा इत्यादि को विभाग कहा जाता है। इसी प्रकार, कोई भी सार्वजनिक उपक्रम जिसका गठन संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के विशेष अधिनियम द्वारा किया गया है 'निगम' कहे जाते हैं। सार्वजनिक निगमों के कुछ उदाहरण भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, दामोदर घाटी निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम इत्यादि हैं। अंत में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनका गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत हुआ है किसी भी अन्य कंपनी की भांति सरकारी कंपनी कहलाते हैं। इस अधिनियम के अनुसार, एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें प्रदत्त शेयर पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त स्वामित्व में है। सरकारी कंपनियों के उदाहरण भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, इत्यादि हैं। ये किसी अन्य निजी कंपनियों की भांति कार्य करती हैं। "सार्वजनिक उपक्रम" पद से सामान्यतया ग़ैर-विभागीय उपक्रमों का पता चलता है जिसमें निगम और कंपनी शामिल हैं। स्वामित्व किस सरकार के अधीन है, इसके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों का वर्गीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के स्थानीय उपक्रमों (स्थानीय सरकार की स्वामित्व और प्रबन्धन वाले उपक्रम) में की जा सकती है। यहाँ यह ध्यान देना उल्लेखनीय है कि 'सार्वजनिक क्षेत्र' और सार्वजनिक सीमित कंपनी (पब्लिक लिमिटेड) के बीच अंतर है। जैसा कि उल्लेख किया गया है सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व और नियंत्रण अनिवार्य रूप से सरकार के हाथ में होना चाहिए। उदाहरण के लिए सरकारी स्वामित्व वाली सभी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कहा जाता है जबकि आम जनता के स्वामित्व वाली इकाई जिसमें स्वामी अथवा शेयर धारक का दायित्व शेयरों की राशि के बराबर सीमित होता है सार्वजनिक सीमित दायित्व कंपनी कहलाती हैं।

बोध प्रश्न 1

1) सार्वजनिक क्षेत्र की परिभाषा कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सार्वजनिक निगमों के पाँच (केन्द्र सरकार स्तर के 2 और राज्य सरकार स्तर के 3) उदाहरण दीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'सार्वजनिक क्षेत्र' की कंपनी और 'सार्वजनिक सीमित' कंपनी के बीच अंतर क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

14.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका

अधिकांश देशों में जिन कार्यकलापों को निजी क्षेत्र द्वारा पसंद नहीं किया जाता है अथवा निष्पादित नहीं किया जाता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक (और महत्त्वपूर्ण) वस्तुएँ तथा सेवाएँ जैसे जलापूर्ति, सड़कें तथा पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं जो यह सर्वोत्तम ढंग से कर सकती हैं और निजी क्षेत्र उनका उत्पादन करती हैं जिस क्षेत्र में वह सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन प्रदर्शित कर सकती है। तथापि, महत्त्वपूर्ण कारणों से कतिपय वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अनन्य रूप से सार्वजनिक में ही किया जाता है यद्यपि कि निजी क्षेत्र इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की इच्छुक रहती हैं तथा ऐसा कुशलतापूर्वक कर सकती हैं।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद से ही मिश्रिम आर्थिक प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत देश की प्रगति और समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के समान रूप से महत्त्वपूर्ण योगदान की आशा की गई थी। 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' की भारतीय अवधारणा में सार्वजनिक क्षेत्र को इसके द्वारा अन्यत्र निभाई गई परम्परागत भूमिका की तुलना में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में भारी निवेश का उद्देश्य न सिर्फ अर्थव्यवस्था की 'उल्लेखनीय उपलब्धियों' पर नियंत्रण बनाए रखना था अपितु अविकसित देश में निजी क्षेत्र की प्रारम्भिक सीमाओं की कमियों को भी पूरा करना था। 'उल्लेखनीय उपलब्धियों' में सम्मिलित हैं (i) आधारभूत संरचना उद्योग जैसे सड़क और पुल, रेलवे, नागरिक विमानन, जलापूर्ति, विद्युत, दूरसंचार इत्यादि; और (ii) बुनियादी उद्योग जैसे लौह और इस्पात, तेल और पेट्रोलियम, भारी पूँजीगत वस्तुएँ, रसायन, उर्वरक इत्यादि। यह महसूस किया गया था कि बुनियादी उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र पर छोड़ दी जाए ताकि सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। ये उद्योग किसी भी तरह से निजी क्षेत्र को आकृष्ट नहीं करते क्योंकि आधारभूत संरचना क्षेत्र और बुनियादी उद्योगों के लिए अधिक निर्माण पूर्व/उत्पादनपूर्व अवधि और भारी निवेश की आवश्यकता होती है और इससे अत्यन्त ही कम प्रतिलाभ मिलता है। जैसी कि आवश्यकता महसूस की गई थी, कुछ कार्यकलाप सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्षेत्र में अनन्य रूप से छोड़ दिया गया था और शेष

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के पहल के लिए छोड़ दिए गए थे। एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित उद्योगों की संख्या को उदारीकरण के आरम्भ के पश्चात् 17 से घटाकर 4 कर दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य स्वीकृत उद्देश्य हैं, आय और सम्पत्ति के पुनर्वितरण को बढ़ावा देना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, रोज़गार के अवसरों का सृजन करना और आयात प्रतिस्थापन्न को बढ़ावा देना तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करना। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के बाद सदैव सार्वजनिक क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की प्रभुत्वशाली भूमिका बनाई गई थी जिसमें हालाँकि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारी कमी आई है।

14.2.2 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और उपलब्धियाँ

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कार्यकलापों का विस्तार सीमित था। कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का प्रभुत्व था। तथापि, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकलापों का विस्तार हुआ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विनिर्माण और सेवा उद्योगों के व्यापक क्षेत्रों में कार्य करने लगे। उसके बाद से निवेश, आकार और इसके अंतर्गत इकाइयों की संख्या के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है। 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार, अकेले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में 240 इकाइयाँ थीं और इन इकाइयों में 2,04,054 करोड़ रु. का कुल निवेश था जो सकल निवेश का लगभग 30 प्रतिशत के बराबर बैठता है। यह 1 अप्रैल 1951 की स्थिति के अनुसार मात्र 5 इकाइयों जिनमें मात्र 29 करोड़ रु. का निवेश था की तुलना में भारी वृद्धि है। 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र केन्द्रीय उपक्रमों की संख्या 240 (निर्माणाधीन 8, वस्तुओं के विनिर्माण/उत्पादन में संलग्न 157 और सेवा प्रदान करने वाली 75) हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के अतिरिक्त लगभग 2,00,000 करोड़ रु. राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश किया गया है जिनकी संख्या लगभग 1100 इकाइयाँ हैं।

विभागीय और स्थानीय स्तर की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में लगभग 1,00,000 करोड़ रु. निवेश किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र लगभग 45 प्रतिशत पूँजी निर्माण में योगदान करती है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 1998 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत है। यह सकल घरेलू बचत (जी डी एस) में करीब 7 प्रतिशत का योगदान करती है। नियोजन अवधि के आरम्भिक अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र ने पूँजी निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई किंतु नियोजन के दो दशकों के बाद सकल घरेलू पूँजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा घटना शुरू हुआ। किसी भी अर्द्धविकसित देश के मामले की भांति भारत को भी उपनिवेशकालीन अविकसित विरासत प्राप्त हुई थी। चूँकि निजी क्षेत्र के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और आधारभूत संरचना परियोजनाओं जिसमें भारी निवेश की आवश्यकता थी में निवेश करने में उनकी अभिरुचि नहीं थी, सार्वजनिक क्षेत्र ने आर्थिक विकास के लिए बुनियादी आधारभूत संरचना के निर्माण में अत्यधिक योगदान किया।

सार्वजनिक क्षेत्र की ग़ैर-वित्तीय आधारभूत संरचना क्षेत्र में प्रभुत्वशाली उपस्थिति हैं तथा भारी उद्योग में भी यदि उतनी नहीं तो थोड़ी ही कम प्रभुत्वशाली उपस्थिति है। निजी क्षेत्र का उद्देश्य निरपवाद रूप से आर्थिक है : अधिकतम लाभ अर्जित करना अथवा अधिकतम राजस्व अर्जित करना/बिक्री करना, जबकि अधिकांश मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य

सामाजिक आर्थिक है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन सिर्फ लाभ की दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। यद्यपि कि सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के सामने खड़ा करना अनुचित होगा, कार्य निष्पादन रिकार्डों से पता चलता है कि उन्होंने बड़ी संख्या में रोज़गार का सृजन किया किंतु इसके साथ ही श्रम बल की अधिकता भी हो गई।

14.2.3 कमियाँ और सीमाएँ

सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के बावजूद भी इसमें कुछ बड़ी कमियाँ दिखाई पड़ी हैं। औद्योगिक और तकनीकी क्षमता के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने पर भी अधिकांश इकाइयों में श्रम बल की अधिकता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन की कमी तथा अनुसंधान और विकास की कमी की समस्या व्याप्त रही है। संभवतया इन समीकरणों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादकता तथा निवेश पर प्रतिलाभ कम से कम निजी क्षेत्र की तुलना में काफी कम रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिशत उपक्रम निरंतर घाटे पर चल रहे हैं। ये उपक्रम मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, कुशल श्रमिक, कर्मकार, अभिप्रेरणा, प्रबन्धकीय पहल और प्रोत्साहन अथवा उत्पादकता सम्बद्ध मज़दूरी की दृष्टि से बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। मूल्य संवर्द्धन की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान निजी क्षेत्र के आधे से भी कम है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र ने विस्तृत तथा विविधिकृत औद्योगिक आधार के सृजन में सहायता की है अनेक क्षेत्रों में इसका कार्यनिष्पादन नगण्य रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र को अपने उद्देश्यों की प्रकृति के कारण कतिपय सीमाओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य विशेषता रही है और कुछ मामलों में उद्देश्य भ्रामक भी हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की मूल्य निर्धारण नीति सदा ही लाभोन्मुखी नहीं होती है। अधिकांश मामलों में यह हानि-लाभ रहित आधार के सिद्धान्त पर कार्य करती है। इसके कारण पूरी व्यवस्था में दक्षता के लिए प्रोत्साहन की कमी होती है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धी भावना नहीं रह जाती है। कभी-कभी अपार क्षमता का सृजन कर लिया जाता है किंतु मांग की कमी अथवा संभवतया उपयोग की कमी के कारण इसका पूरा-पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में प्राय: परियोजना अनुमानित से अधिक समय और लागत लगने की समस्या से ग्रस्त होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में एक मुख्य समस्या श्रम संबंधी समस्या है। ट्रेड यूनियन अपने संघर्षवादी कार्यकलापों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। कुछ ही वर्षों पहले तक, ऐसी कोई नीति नहीं थी जिसके अन्तर्गत अधिशेष श्रम बल में कटौती की जा सके। संगठन की अपनी प्रकृति के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में स्वायत्तता तथा कार्य करने की स्वतंत्रता की कमी होती है। मंत्रालयी आदेशों के रूप में अड़चनें आती हैं। बाधक नौकरशाही नियंत्रण भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के सुगम और सतत कार्यकरण में अड़चन उपस्थित करती है।

बोध प्रश्न 2

1) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या रही है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सार्वजनिक क्षेत्र की क्या कमियाँ हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

14.3 निजी क्षेत्र

कोई भी संगठन, जो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, को निजी क्षेत्र का हिस्सा माना जा सकता है। परिभाषा के तौर पर कोई भी फर्म जो अनन्य रूप से निजी पार्टियों (जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकता है) के स्वामित्व और प्रबन्धन में हैं निजी क्षेत्र की इकाइयों के रूप में जानी जाती है। निजी क्षेत्र को दो और भागों में विभाजित किया जा सकता है (क) निजी कारपोरेट क्षेत्र जिसमें (i) मिश्रित पूँजी कंपनियाँ एवं (ii) सहकारी क्षेत्र सम्मिलित हैं; और (ख) घरेलू क्षेत्र। भारत में, वर्षों से, वस्तुएँ तथा सेवाएँ जिनमें निजी क्षेत्र ने पहल की है और मुख्य भूमिका भी निभा रही है का काफी विस्तार हुआ है। इन दिनों, प्रायः कल्पना योग्य सभी वस्तुओं का निर्माण निजी क्षेत्र में किया जा रहा है। सम्मिलित स्वामियों की संख्या की दृष्टि से निजी क्षेत्र का उप-विभाजन दो वर्गों में किया जा सकता है, अर्थात् 'एकल स्वामित्व' और 'सामूहिक स्वामित्व' वाली। एकल स्वामित्व वाली फर्मों का प्रबंधन नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथ में होता है और इनका मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। सामूहिक स्वामित्व वाली निजी फर्मों को पुनः तीन भागों में बाँटा जा सकता है: (i) साझेदारी, (ii) मिश्रित पूँजी कंपनी और (iii) सहकारिता (भाग 14.5 में चर्चा की गई है)। साझेदारी प्रकार में, फर्म संयुक्त स्वामित्व में होता है और इनका प्रबन्धन नियंत्रण एक से अधिक व्यक्तियों के हाथ में होता है। चूँकि साझेदारी लाभ के बँटवारा पर आधारित होता है इसलिए साझेदारी फर्म का मुख्य उद्देश्य एकल स्वामित्व वाली फर्मों की तरह ही लाभ को अधिकतम करना होता है।

निजी क्षेत्र देश के औद्योगीकरण और विकास की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकसित देशों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का लम्बा इतिहास रहा है। विशेष रूप से पश्चिम में विकास को गति देने में निजी क्षेत्र का प्रमुख स्थान रहा है। लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उत्पादन और प्रक्रियाओं के प्रति दृष्टिकोण में निजी क्षेत्र नई राह निकालने में अधिक प्रवृत्त होती हैं। लाभ का उद्देश्य इसे न सिर्फ उपलब्ध संसाधनों के कुशल प्रयोग के लिए प्रेरित करता है अपितु इसे सदैव नए-नए उत्पादों को भी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार यह प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर नाना प्रकार की वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध करा कर राष्ट्र के कल्याण में योगदान करती है। इसकी सकारात्मक भूमिका के कारण ही विकास की प्रक्रिया में योगदान करने के लिए सर्वत्र निजी क्षेत्र को फिर से महत्त्व दिया जा रहा है। नियोजन युग के तीन दशकों, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ी हुई भूमिका पर बल दिया गया था, के पश्चात् अस्सी के दशक के मध्य में भारत ने निजी क्षेत्र की संभावनाओं को स्वीकार करना शुरू किया। अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में निजीकरण की ओर बढ़ने का प्रयास तदर्थ प्रकृति का था। तथापि, 1991 के पश्चात् निजी क्षेत्र को देश के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। यहाँ तक कि पहले जो उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, भी निजी क्षेत्र के लिए खोले जा रहे हैं। लघु और अत्यन्त लघु उद्योग जो निजी क्षेत्र में हैं भी एक देश की विकास प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। लघु उद्योग रोज़गार

के अवसर पैदा करते हैं, स्थानीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, स्थानीय उद्यमिता योग्यताओं के उपयोग का अवसर प्रदान करते हैं, आय के सृजन में सहायता करते हैं, व्यक्तियों के बीच आय की असमानता को कम करते हैं इत्यादि-इत्यादि।

14.3.1 निजी क्षेत्र का विकास और योगदान

प्रचालन के सीमित क्षेत्र के बावजूद, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का आकार और कारोबार बढ़ा है। निजी क्षेत्र का सकल घरेलू पूँजी निर्माण में सकल घरेलू उत्पाद का करीब 15 प्रतिशत योगदान है जो सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान से दो गुणा से अधिक है। निजी क्षेत्र का देश की सकल घरेलू बचत में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 22 प्रतिशत योगदान है। रोज़गार की दृष्टि से, निजी क्षेत्र का योगदान सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में काफी कम है। निजी क्षेत्र में कुल रोज़गार की संख्या लगभग 87 लाख है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में यह 194 लाख से भी अधिक है। तथापि, उपलब्ध सांख्यिकीय आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले दशक में सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार सृजन में अधिक वृद्धि नहीं हो रही है। अपितु, 1997 के बाद से रोज़गार में नकारात्मक वृद्धि हुई है। किंतु निजी क्षेत्र में 1998 से 1999 तक नकारात्मक वृद्धि को छोड़ कर इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है।

14.3.2 सीमाएँ और हानियाँ

निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना है। इस प्रकार वह क्षेत्रों/उद्योगों में, जहाँ पूँजी पर अधिक प्रतिलाभ होता है, निर्माण अवधि अपेक्षाकृत कम होती है, और अपेक्षित निवेश बहुत ज्यादा नहीं होता है उनके लिए सबसे अधिक अनुकूल होते हैं। रोज़गार सृजन में उनके योगदान और विविध औद्योगिक आधार के बावजूद यह पर्याप्त नहीं रहा है। तुरन्त लाभ अर्जित करने के लिए (निजी क्षेत्र द्वारा) उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में अधिक रुचि से उत्पादन के एक असंतुलित प्रकार की प्रवृत्ति का सृजन होता है जो कि यदि एक देश के पास उपयुक्त आधारभूत संरचना के अभाव में धारणीय नहीं हो सकता है। भारत में, निजी क्षेत्र की आधारभूत संरचना और बुनियादी उद्योगों जिन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, में शायद ही योगदान रहा है। तथापि, हाल ही में दूरसंचार, सड़क और परिवहन, ऊर्जा, पेट्रोरसायन, इत्यादि में निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि हुई है।

निजी क्षेत्र की अत्यधिक भागीदारी विशेषकर यदि इसे विनियमित नहीं किया जाए तो यह न सिर्फ एकाधिकार को जन्म देती है अपितु यह कुछ हाथों में एकाधिकारवादी ताकतों तथा सम्पत्ति के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को भी मजबूत बनाती है। यदि समान अवसर नहीं दिए जाते हैं तो जिनके पास पहले से ही संसाधन हैं उनको निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी से अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है और इस प्रकार अंतत: आय का असमान वितरण होता है।

निजी क्षेत्र में सदैव ही केवल उन उद्यमियों का वर्चस्व नहीं होता है जिनके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में, जहाँ पूँजी की कमी है निजी क्षेत्र की भागीदारी उद्यम पूँजी की अनुपलब्धता के कारण शिथिल रहती है। यदि पूँजी बाज़ार का विकास नहीं हुआ है और वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त संसाधन जुटाना कठिन है तो निजी क्षेत्र वांछित गति से प्रगति में योगदान नहीं कर सकता है।

बोध प्रश्न 3

1) निजी क्षेत्र की परिभाषा कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2) निजी क्षेत्र के दो लाभों और दो हानियों का उल्लेख कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

14.4 संयुक्त क्षेत्र

संयुक्त क्षेत्र संगठन का वह प्रकार है जिसमें सरकारी और निजी दोनों अस्तित्व सहयोगी भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि कि 1969 में दत्त समिति के प्रतिवेदन के बाद संयुक्त क्षेत्र का महत्त्व बढ़ा, इस प्रकार के संगठनों का गठन 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प, के बाद से ही शुरू हो गया था। इस संकल्प में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच सहयोगी उद्यमों के लिए उपबंध किए गए थे। इस प्रकार की व्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का संसाधनों पर संयुक्त रूप से स्वामित्व नियंत्रण और प्रबन्धन होता है, इसलिए इसे 'संयुक्त क्षेत्र' कहा जाता है। पहले सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं का निजी क्षेत्र में उनकी निवेश की गई राशि पर शायद ही कोई नियंत्रण होता था। संयुक्त क्षेत्र का विचार कुछ इस तरह से शुरू किया गया था ताकि सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संसाधनों के ऊपर कुछ नियंत्रण रहे।

संयुक्त क्षेत्र में, सरकार और वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी नहीं हो सकती है। दूसरा, एक निजी निवेशक भारत सरकार की अनुमति के बिना प्रदत्त पूँजी का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं धारण कर सकता है। संयुक्त क्षेत्र फर्म का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुरूप किया जा सकता है। संयुक्त क्षेत्र में कुछ प्रसिद्ध नाम भारत शेल, कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर), मारुति उद्योग लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कारपोरेशन, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलौर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इत्यादि।

14.4.1 संयुक्त क्षेत्र की भूमिका और लाभ

संयुक्त क्षेत्र की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि सामाजिक विकास के कुछ तत्व मौजूद रहें। सार्वजनिक क्षेत्र की भांति, संयुक्त क्षेत्र भी रोज़गार का सृजन, अन्तर-प्रादेशिक असमानता में कमी और पिछड़े क्षेत्रों का विकास जैसे सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। व्यवसाय में सरकार की भागीदारी से एकाधिकारवादी शक्ति के सृजन पर नियंत्रण करने, एकाधिकारों की वृद्धि और व्यावसायिक कदाचारों को रोकने में सहायता मिलती है। संयुक्त क्षेत्र के लाभ यह हैं कि यह सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सर्वोत्तम तत्वों को परस्पर जोड़ सकता है। संयुक्त क्षेत्र फर्म में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से अति आवश्यक वित्तीय संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं और निजी पार्टी अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली का उपयोग कर सकती है जिससे वांछित दिशा में बेहतर औद्योगिक विकास का सूत्रपात हो सकता

है। इस प्रकार संयुक्त क्षेत्र उन क्षेत्रों अथवा उद्योगों में जहाँ निजी क्षेत्र ने अकेले काम करने का साहस नहीं जुटाया होता फर्मों को प्रेरित करके औद्योगिक संरचना को व्यापक आधार प्रदान कर सकता है।

14.4.2 सीमाएँ और हानियाँ

संयुक्त क्षेत्र फर्मों में उद्यम में सम्मिलित पार्टियों के बीच विवाद होने की संभावना रहती है। चूँकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है और सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रयासरत रहती है, इससे उद्देश्यों में टकराव पैदा हो सकता है।

14.5 सहकारी क्षेत्र

वे संगठन जहाँ जनता स्वैच्छिक रूप से आर्थिक हितों के अनुसरण के लिए योगदान करती हैं, सहकारी समितियाँ कहलाती हैं और इन्हें सामूहिक रूप से सहकारी क्षेत्र कहा जाता है। एक सहकारी समिति स्वैच्छिक, स्वतंत्र व्यावसायिक उपक्रम होती है जिसका गठन उद्यम के भागीदार सदस्यों की आम आवश्यकता (ओं) को पूरा करना होता है। ये उत्पादन, बाज़ार और सर्वोन्मुखी हो सकती हैं। संगठन की दृष्टि से सहकारिताएँ अन्य प्रकार के फर्मों से अलग होती हैं। निजी क्षेत्र के मामले में और यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में, व्यक्ति जिनका संसाधनों पर स्वामित्व होता है, व्यक्ति जो संसाधनों को नियंत्रित करते हैं और व्यक्ति जो अंतिम उपभोक्ता अथवा प्रयोक्ता होते हैं, सामान्यतया अलग-अलग सत्ता होते हैं। इस प्रकार, स्वामित्व नियंत्रण और उपयोग के घटक एकीकृत नहीं होते हैं। तथा, सहकारिता प्रकार के संगठन में उपरोक्त सभी तीन सत्ताएँ एक ही समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरे शब्दों में, सहकारी प्रकार की व्यवस्था में, वे जो संसाधनों के स्वामी हैं, वे जिनका संसाधनों पर नियंत्रण हैं और वे जो तैयार वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करते हैं सभी एक और समान समूह के ही होते हैं। सहकारी क्षेत्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण यह निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से स्पष्ट रूप से अलग है। संगठन की प्रकृतिवश सहकारिताओं में सभी सहकारी एजेन्सियाँ प्रत्यक्ष तौर पर उत्तरदायी और जवाबदेह होती हैं।

यूरोपीय देशों (विशेषकर स्कैण्डिनेवियाई देशों), जापान, इज़रायल, कनाडा और भारत में सहकारी प्रकार के संगठन, भले ही इनका स्वरूप अलग-अलग हो, अत्यन्त ही लोकप्रिय हैं। सहकारी फर्म पूर्व यू एस एस आर में अत्यधिक लोकप्रिय थे। पश्चिमी यूरोपीय देशों में उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, कृषि सहकारी समितियाँ और अन्य प्रकार जैसे आवास, बैंकिंग तथा कर्मकारों की उत्पादक सहकारी समितियाँ अत्यधिक लोकप्रिय हैं। साहित्य से पता चलता है कि सहकारी विकास के कुछ सबसे बृहत् केन्द्रीकरण अभी भी पश्चिमी यूरोप में हैं। यू एस ए में, अधिकांश सहकारी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित हैं और कृषि से संबंधित कार्यकलापों से जुड़े हुए हैं। जापान में, सहकारी समितियाँ मुख्यतया ग्रामीण स्वरूप की हैं, ये सुसंगठित तथा परस्पर भलीभांति जुड़ी हुई हैं और अधिकांश कृषक इन बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के सदस्य हैं। सहकारी समितियों चाहे जिन देशों में भी हों अधिकांश मामलों में उन्होंने ग्रामीण और कृषक जनसंख्या की आवश्यकताओं की ही पूर्ति की है।

अन्तरराष्ट्रीय सहकारी मैत्री (आई सी ए) से सहकारी क्षेत्र के वर्चस्व के बारे में कुछ प्रभावशाली तथ्यों और आँकड़ों का पता चलता है। आई सी ए के अनुसार, स्वीडन के लगभग सम्पूर्ण दुग्ध उत्पादों का विपणन कृषक स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार, नार्वे के 75 प्रतिशत वनोत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता

है। इटली में कुल शराब उत्पादन का 60 प्रतिशत हिस्सा सहकारी क्षेत्र से आता है। यह जानना रोचक होगा कि कृषकों की स्वामित्व वाली 14 सहकारी संस्थाओं का स्थान यू एस ए की सबसे बड़ी 500 निगमों में है। यहाँ कुछ और उदाहरण देना अनुपयुक्त नहीं होगा कि बोलिविया, केन्या और ब्राजील में क्रमश: चिकन का 60 प्रतिशत, गुलदाउदी (पाइरीथ्रम) का 87 प्रतिशत और कपास का 40 प्रतिशत विपणन सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। भारत में ही, अमूल डेयरी सहकारी संस्था भारत के दुग्ध उत्पादन के बड़े हिस्से का विपणन करती है।

भारत में सहकारी उद्यम कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में हैं। सहकारी संस्थाएँ कई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कार्य की दृष्टि से ये सहकारी संस्थाएँ विभिन्न उद्देश्यों जैसे विपणन, कच्चे मालों की आपूर्ति, साख इत्यादि के लिए कार्य करती हैं। सहकारी क्षेत्र में कुछ साख समितियाँ इस प्रकार हैं जैसे कृषि साख समितियाँ, औद्योगिक सहकारी बैंक, ग़ैर-कृषि साख समितियाँ और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कुछ विपणन संस्थाएँ भी हैं जैसे कपास, फल और सब्जी, तम्बाकू, नारियल के लिए सहकारी संस्थाएँ और सामान्य प्रयोजन विपणन समितियाँ भी हैं। मत्स्य सहकारी समितियों के साथ-साथ पशुधन उत्पादों जैसे दुग्ध, घी, मुर्गी-पालन इत्यादि के लिए भी विभिन्न स्तरों पर सहकारी संस्थाएँ हैं। गन्ना के लिए आपूर्ति साख सहकारी समितियाँ और प्रसंस्करण सहकारी संस्थाएँ जैसे कपास ओटाई और संपीड़न सहकारी संस्थाएँ और कृषि प्रसंस्करण समितियाँ। असंख्य अन्य विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाएँ हैं जिसमें शीतागार सहकारी संस्थाएँ, सिंचाई समितियाँ, ऊर्जा सहकारी संस्थाएँ, कृषि सहकारी समितियाँ, स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाएँ, दूर संचार सहकारी संस्थाएँ बुनकर सहकारी समितियाँ, अन्य औद्योगिक सहकारी समितियाँ, सहकारी औद्योगिक सम्पदा, श्रम संविदा और निर्माण सहकारी समितियाँ, वन श्रमिक सहकारी समितियाँ, जनजातीय सहकारी संस्थाएँ, परिवहन सहकारी संस्थाएँ, इलैक्ट्रॉनिक सहकारी संस्थाएँ, महिलाओं की सहकारी संस्थाएँ, विद्यार्थियों की सहकारी संस्थाएँ, बहु-इकाई सहकारी संस्थाएँ और अन्य। सहकारी क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण नाम गुजरात में स्थित 'इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कोओपरेटिव लिमिटेड (इफ्फको) और भारत में सहकारिता आंदोलन का सबसे अप्रतिम प्रतीक इस समय अमूल है जो न सिर्फ दुग्ध उत्पाद में अपितु घी, मक्खन, चीज़, चॉकलेट, आइसक्रीम और अब पीज़ा में भी एक अजेय ब्राण्ड बन गया है।

बोध प्रश्न 4

1) 'संयुक्त क्षेत्र' और 'सहकारी क्षेत्र' में क्या अंतर है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) संयुक्त क्षेत्र की 3 कंपनियों और सहकारी क्षेत्र के 2 संगठनों का नाम बताइए?

.....

.....

.....

.....

.....

14.5.1 सहकारी क्षेत्र के उद्देश्य

सहकारी संस्थाओं का उद्देश्य यथासंभव कम से कम खर्च पर अधिकतम संभव सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार सहकारी संस्थाएँ अधिकतम लाभ अर्जित करने के आर्थिक उद्देश्य का अनुसरण नहीं करती हैं। तथापि, कर लगाने के उद्देश्य से उन्हें निजी क्षेत्र के समान ही माना जाता है क्योंकि सहकारी संस्थाओं का आर्थिक हित होता है और उनकी प्रभावोत्पादकता की माप उन्हीं मानदंडों से की जाती है जिनसे निजी क्षेत्र की जाती है। सहकारी संस्थाओं का विचार समाज के निर्धन वर्गों में स्व सहायता की व्यवस्था का सृजन करना था। भारत में सहकारी आंदोलन का उद्देश्य न सिर्फ सहकारी समुदाय को सस्ती दर पर वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध कराना है अपितु सहकारी समुदाय में एकता और संसाधनों के सहयोग पूर्ण प्रबन्धन की भावना भरना है। सहकारी क्षेत्र को इस विश्वास के साथ बढ़ावा दिया गया है कि समाज के विशेष वर्ग अथवा अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्र जिसकी आवश्यकता निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संतोषप्रद ढंग से पूरी नहीं की जा सकती है, में इसकी पहुँच है तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की इसमें क्षमता है।

14.5.2 विकास और सीमाएँ

जब सहकारी आंदोलन की बात आती है तो भारत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। भारत में अमूल का 'टेस्ट ऑफ इंडिया' के रूप में अभियान न सिर्फ आज एक अजेय ब्रांड है अपितु इसने विश्व को यह दिखलाया है कि सहकारी उद्यम में क्या कर गुजरने की क्षमता है। नेशनल को-ओपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के अनुसार, भारत में सहकारी संस्थाओं की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नवीनतम आँकड़ों से पता चलता है कि इस समय कुल ग्रामीण परिवारों का लगभग 67 प्रतिशत इसके दायरे में आता है। राष्ट्रीय स्तर के 21 सहकारी फेडरेशन हैं और राज्य स्तर के 350 से अधिक सहकारी फेडरेशन हैं। सहकारी आंदोलन के विकास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि 1998-99 में विभिन्न सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की संख्या 209 मिलियन थी जो साठ के दशक के मध्य में मात्र 69 मिलियन थी। इसी प्रकार सहकारी संगठनों की संख्या साठ के दशक के मध्य में 3.4 लाख से बढ़ कर 1998-99 में 5 लाख से भी अधिक हो गई है। स्वरोज़गार के सृजन की दृष्टि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का हिस्सा 12.5 प्रतिशत है।

वर्षों के इस अपार विकास के बावजूद, भारतीय सहकारी क्षेत्र की अपनी समस्याएँ और बाधाएँ हैं। सहकारी संस्थाएँ सहकार नियमों और कानूनों से शासित होती हैं, को-ओपरेट्रिव रजिस्ट्रार और अन्य सरकारी नियमों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों जैसे चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से सरकार इनका प्रशासन देखती है। अनेक उदाहरण हैं जब सहकारी संस्थाओं के कार्यकरण में सरकारी प्राधिकारियों का अत्यधिक हस्तक्षेप हुआ है। सहकारी एजेन्टों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के स्व-प्रबन्धन का उद्देश्य तब पूरा नहीं होता है जब सरकारी तंत्र सहकारी संस्थाओं के दैनंदिन कार्यकरण में हस्तक्षेप करने लगते हैं। एक उदारीकृत शासन में, जब संगठन के अन्य प्रकार धीरे-धीरे बाज़ारोन्मुखी कार्य तंत्र अथवा प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, सहकारी संस्थाओं का नियम और विनियम लचीला होना चाहिए और इसे सरकारी नियंत्रणों तथा हस्तक्षेपों से स्वतंत्र होना चाहिए। इसके साथ ही संगठन की स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक प्रकृति के मद्देनजर सहकारी संस्थाओं को स्व अनुशासन की भावना भरनी चाहिए जिससे कि वे अधिक प्रभावी और कार्यकुशल बन सकें।

विशेषकर विकासशील विश्व में, सहकारी क्षेत्रों से न सिर्फ यह आशा की जाती है कि वे

सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के साथ बढ़ें अपितु उनके साथ कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा भी कर सकें। उनसे आशा की जाती है कि वे लाभ अर्जित करें तथा साथ ही विभिन्न सरकारी पाबंदियों तथा अनम्यताओं के अध्ययधीन होते हैं। विद्यमान व्यवस्था में, प्रचलित कानून सरकार को सहकारी संस्थाओं का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार प्रदान करती हैं। जो सहकारी संस्था के सदस्यों में जुड़ने की भावना, स्वतंत्रता की भावना और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ने से रोकते हैं। बहुधा सहकारी संस्थानों में उसी सहकारी क्षेत्र के अंदर स्वंय उनके बीच संलग्नता और बंधन का अभाव होता है तथा ये संसाधनों की अत्यधिक कमी की समस्या से भी ग्रस्त होते है। इसके साथ ही सहकारी संस्थाओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए समान अवसर नहीं हैं जबकि बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हो रहा है। तथापि, कुछ राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में नए कानूनों के रूप में इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं।

बोध प्रश्न 5

1) सहकारी क्षेत्र जनता का हित साधन अधिक ठीक ढंग से किस तरह से करती है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सहकारी क्षेत्र की सीमाएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

14.6 सारांश

किसी भी आर्थिक व्यवस्था में, संगठन का एक ही स्वरूप विद्यमान नहीं रह सकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उन शर्तों पर चलती हैं कि संगठन के सभी मुख्य स्वरूपों का न सिर्फ सहअस्तित्व रहता है अपितु, वे परस्पर एक दूसरे पर भी निर्भर रहते हैं। समय की आवश्यकता के कारण, स्वतंत्रता के ठीक बाद सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी परम्परागत भूमिका से अधिक महत्त्व दिया गया था। वर्षों तक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ने अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में योगदान किया है। तथापि, उदारीकरण के बाद धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र का महत्त्व निजी क्षेत्र की तुलना में घटता जा रहा है। अब निजी क्षेत्र के पास अपेक्षित पूँजी और सार्वजनिक क्षेत्र के परम्परागत क्षेत्रों में भी योगदान करने की क्षमता है। इस समय, खुले और भूमंडलीय एकीकृत अर्थव्यवस्था में जहाँ अस्तित्व बनाए रखना दुर्लभ संसाधनों के कुशल उपयोग पर निर्भर करता है, यह स्वीकार किया जाने लगा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी की तुलना में निजी क्षेत्र की भागीदारी बेहतर विकल्प है। अतएव, पूरे विश्व में पहले से कहीं ज्यादा गति से निजीकरण की ओर प्रगति हो रही है।

14.7 शब्दावली

सहकारी संस्थाएँ : सहकारी संस्थाएँ समान आर्थिक हितों के अनुसरण और समान आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गठित लोगों का निजी स्वैच्छिक स्वतंत्र एसोसिएशन है।

संयुक्त क्षेत्र फर्म : यह संगठन का स्वरूप है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र की पार्टियाँ मिलकर संसाधनों और कार्यकलापों का स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबन्धन संभालती है।

निजीकरण : सरकार से आम जनता के स्वामित्व में संसाधनों के प्रभावी हस्तांतरण की ओर कदम।

निजी क्षेत्र : संगठन, जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबन्धन निजी पार्टियों के हाथ में है।

सार्वजनिक क्षेत्र : संगठन, जिनका स्वामित्व नियंत्रण और प्रबन्धन सरकार के विभिन्न स्तरों के हाथ में है।

सार्वजनिक सीमित कंपनी : संगठन, जिसमें स्वामी अथवा शेयर धारकों का दायित्व धारित शेयरों की राशि के बराबर सीमित होता है।

सार्वजनिक उपक्रम : से अभिप्राय गैर-विभागीय उपक्रम है जिसमें सरकार के विभिन्न स्तरों (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार) पर निगम और कंपनियाँ हैं।

14.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ

अग्रवाल पी.एन (2001). *ए कम्प्रिहेन्सिव हिस्ट्री ऑफ बिज़नेस इन इंडिया : फ्रॉम 3000 बी सी टू 2000 एडी,* टाटा मैक्ग्रा-हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।

इंडियन टैक्स इंस्टीट्यूट (1999). *फिफ्टी ईयर्स ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री : 1950-2000,* दिल्ली।

लेन, जैन एरिक (संपा) (1997). *पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स : रैशनल ट्रेन्ड्स एण्ड प्रॉब्लम्स,* सैज पब्लिकेशन्स लिमिटेड, लंदन

सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण प्रतिवेदन, विभिन्न अंक

14.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) भाग 14.2, पहला अनुच्छेद देखिए।

2) भाग 14.2, पहला अनुच्छेद देखिए।

3) भाग 14.2, दूसरा अनुच्छेद देखिए।

बोध प्रश्न 2

1) उपभाग 14.2.1 देखिए।

2) उपभाग 14.2.3 देखिए।

बोध प्रश्न 3

1) भाग 14.3, पहला अनुच्छेद देखिए।

2) भाग 14.3, दूसरा अनुच्छेद और उपभाग 14.3.2 देखिए।

बोध प्रश्न 4

1) भाग 14.4, पहला अनुच्छेद, भाग 14.5, पहला अनुच्छेद देखिए।

2) भाग 14.4, दूसरा अनुच्छेद, भाग 14.5, चौथा अनुच्छेद देखिए।

बोध प्रश्न 5

1) उपभाग 14.5.1 देखिए।

2) उपभाग 14.5.2 देखिए।